न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, औसियां

पीठासीन अधिकारी – श्री राजकेश मीणा, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 61/2022

प्रार्थी:–

भागीरथ पुत्र श्री तेजाराम, जाति विश्नोई, निवासी खाबडा कला, तहसील ओसियां जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1 फगलुराम पुत्र श्री हरजीराम
2 एलची पुत्री श्री मलूराम
3 खानूराम पुत्र श्री रतनाराम
4 गंगादेवी पत्नी श्री मलूराम
5 गोपीराम पुत्र श्री धुड़ाराम
6 घमण्डाराम पुत्र श्री हरजीराम
7 चुकी पुत्री श्री मलूराम
8 जोगाराम पुत्र श्री चेनाराम
9 ठाकरराम पुत्र श्री खीयाराम
10 बालाराम पुत्र श्री देवाराम
11 विशनाराम पुत्र श्री देवाराम
12 श्रवणराम पुत्र श्री देवाराम
13 पारसी पुत्री श्री देवाराम
14 धापु पुत्री श्री मलुराम
15 धीमाराम पुत्र श्री हरजीराम
16 पांची पुत्री श्री मलूराम
17 फगलू पुत्र श्री हरजीराम
18 बगडूराम पुत्र श्री खीयाराम
19 बगतू पत्नी श्री धूड़ाराम
20 बुधाराम पुत्र श्री दीपाराम
21 बाबूराम पुत्र श्री हरजीराम
22 भंवरलाल पुत्र श्री दीपाराम
23 भागचन्द पुत्र श्री लाखाराम फौत के कायम मुकाम
23/1 वीरा पत्नी श्री भागचन्द
23/2 हड़मानराम पुत्र श्री भागचन्द
23/3 ओमप्रकाश पुत्र श्री भागचन्द
23/4 रामाराम पुत्र श्री भागचन्द
24 मनोहरलाल पुत्र श्री मलूराम
25 मोहनराम पुत्र श्री मलूराम
26 समू पुत्री श्री मलूराम
27 ककली देवी पुत्री श्री सूरजाराम
28 कोयली पुत्री श्री सूरजाराम
29 निरमा पुत्री श्री सूरजाराम
30 मोहनी पुत्री श्री सूरजाराम
31 श्यामलाल पुत्र श्री सूरजाराम
32 श्रीराम पुत्र श्री सूरजाराम
33 हरसुखराम पुत्र श्री सूरजाराम
34 मीरा पत्नी श्री सूरजाराम
35 हड़मानराम पुत्र श्री धोकलराम
36 हड़मानराम पुत्र श्री रतनाराम
37 कौशल्या पुत्री श्री जगदीश
38 महेन्द्र विश्नोई पुत्र श्री जगदीश
39 सुभाष पुत्र श्री जगदीश
जाति विश्नोई, निवासी खाबडा कला, तहसील ओसियां जिला जोधपुर
40 श्रीमान् तहसीलदार ओसियां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम   दिनांक– 1/11/2022

निर्णय–

प्रार्थीगण खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि खसरा नम्बर 24/1 रकबा 4.2573 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, ग्राम खाबडा कलां, तहसील ओसियां जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है जिस पर प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पूर्वी सीमा अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 15.0786 हैक्टेयर मौजा ग्राम खाबडा कलां तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि की पूर्वी सीमा में अप्रार्थीगण ने दखलंदाजी करनी शुरू कर दी तथा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने के आशय से मौके पर विद्यमान माल को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया तब प्रार्थी ने अपनी भूमि की पैमाइश हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् तहसीलदार ओसियां के समक्ष प्रस्तुत किया है जिस पर तहसीलदार ओसियां ने आदेश क्रमांक/सीमांकन/04/55 पारित किया जिसकी अनुपालना में हल्का पटवारी सिरमण्डी मौके पर पहुंच कर मौके पर उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में प्रार्थी की भूमि का सीमांकन किया। उपरोक्त सीमांकन अनुसार जब प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि की तारबंदी करने हेतु सीमांकन में बताये निशान अनुसार पत्थर रोपने शुरू किये तो अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर प्रार्थी को पत्थर रोपने से मना कर दिया तथा रोपे गये पत्थरों को गिरा दिया और एलानिया कहा कि यह पूर्व में किये गये सीमांकन को हम नहीं मानते हैं हम पुनः सीमांकन अनुसार मौके पर तारबंदी नही करने देंगे इस प्रकार अप्रार्थीगण बिना किसी कारण से प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि के बीच की सीमा को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है जिसका निस्तारण केवल मात्र पत्थर गढ्डी आदेश से ही होना सम्भव है। इसलिए प्रार्थीगण ने मजबुरन यह प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थर गढ्डी का श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि ग्राम खाबडा कलां तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है जिसके बाबत् पत्थर गढ्डी प्रार्थना पत्र का श्रवण कर निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 24/1 रकबा 4.2575 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम ग्राम खाबडा कला, तहसील ओसियां तथा अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 33 रकबा 15.0786 हैक्टेयर, मौजा ग्राम खाबडा कला तहसील ओसियां के मध्य की सीमा पर पत्थर गढ्डी बाबत तहसीलदार ओसियां से टीम गठित करवाई जाकर पत्थर गढ्डी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें साथ ही आवश्यकतानुसार आवश्यक पुलिस व्यवस्था हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना ओसियां को आदेश दिया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 2 से 39 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र चौधरी उपस्थित जवाब पेश नहीं बंद किया जाता है। बहस सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

–आदेश–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 24/1 रकबा 4.2573, ग्राम खाबडा कला, तहसील ओसियां जिला जोधपुर टीम गठित की जाकर पत्थरगड्डी किये जाने का आदेश दिया जाता है पत्थरगड्डी के वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तररीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आदेश आज दिनांक 1/11/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

राजकेश मीणा
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां